भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1672
उत्तर देने की तारीख 31.07.2023

वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता

1672. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :
श्रीमती हेमामालिनी :
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता' नामक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत उन कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है/योगदान दे रहे हैं लेकिन अपनी बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की प्राप्ति में अक्सर विलंब होता है जिससे लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता की राशि नहीं मिल पाती है;
(घ) यदि हां, तो लाभार्थियों को उक्त वित्तीय सहायता नियमित आधार पर प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; और
(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में स्वीकृत/खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, हां। संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयोवृद्ध कलाकारों के लिए 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक योजना संचालित करता है जिन्होंने कला और संस्कृति के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के चयनित कलाकारों, जिनकी वार्षिक आय 48,000/- रुपये से अधिक नहीं है, से वर्ष में एक बार डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) और प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उन्हें 6000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): जी, हां। समय पर दस्तावेज़ प्राप्त न होने से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के संवितरण में विलंब होता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच दिनांक 28.06.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
1.	2020-21	08.71
2.	2021-22	15.42
3.	2022-23	18.59
4.	2023-24 (26.07.2023 तक)	1.89

*****